तारीख हुक्म/हस्ताक्षर पार्टी	कार्यवाही विवरण	
02.8.2024	पत्रावली आज अदालत प्रस्तुत हुई, अधिवक्ता वादी श्री जॉली जैन उपस्थित हैं, दिनांक 5.7.24 को प्रतिवादी सं. 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 14,16,17,18,19,27 की तामील के बाद पत्रावली पर प्रतिवादी सं. 1,2,3,4,6,7,8,16,17,18 19 के अलावा ~~सबका~~ सभी प्रतिवादी अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी सं. 1,2,3,4,6,7,8,16,17,18,19 के अलावा सबका जवाब बन्द कीया गया। प्रतिवादी सं. 1,2,3,4,6,7,8,16,17,18,19 ने सहमति व्यक्त की तथा कथन किया की अगर पत्थरगढ़ी की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है प्रतिवादी सं. 5, 9 से 15 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है, प्रतिवादी सं. 27 का जवाब भी बावजूद तामील के नहीं आया है साथ ही प्रतिवादी सं. 27 अनुपस्थित भी है। अधिवक्ता वादी ने उपस्थित हो कथन कीया की उन्हें प्रतिवादी सं. 20 से 26 के विरुद्ध कोई दाद भी नहीं चाहिये। तथा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये, अधिवक्ता प्रतिवादी ने क्योंकि प्रतिवादी सं. 20 से 26 के विरुद्ध कोई दाद नहीं चाही है, अत: उनके विरुद्ध इस न्यायालय से अब कोई आदेश नहीं जारी किया जाता है. अत: अब सम्मन तामीली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब पत्रावली में तामीली अथवा जवाब से सबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है तथा प्रतिवादी सं. 1 से 4, 6 से 8 व 16 से 19 ने पत्थरगढ़ी से सहमति व्यक्त की है अत: वाद पत्र अनुसार दिये गये आराजी सं. 182 मौजा लकुकालेज के पत्थरगढ़ी के आदेश जारी किये जाते है, तहसीलदार को आदेशित किया जाता है की अपने कार्यालय से	प्रतिवादी संख्या 20 से लगायत 26 को मुझे कोई दाद नहीं चाहिए [signature] Adv.

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलूम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलुम्बर (राज.)

मुकदमा ______ बनाम ______

पत्रावली संख्या ______ सन ______

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी
	सूचना पत्र जारी कर मौके उक्त आराजीयात की पत्थरगडी का कार्य निष्पादन करें, नहीं तहसीलदार के चाहे व निर्देशानुसार मौकेपर उपयुक्त साईज के पत्थर (गाढने हेतु) तथा मजदुर (गड्ढा करने हेतु) उपलब्ध करावे। वहीं तहसीलदार का एक दिवस का वेतन राजकोष मे जमा कराने पर ही पत्थरगडी का कार्य किया जावे, उक्त एक दिवस के वेतन से नियमानुसार तहसीलदार उक्त रेपराशि पृथक से बिल बनाकर राजकोष से आहरित कर सकेगे। T.R.A. नियमानुसार उक्त की मांग कार्य वाही करे इस हेतु एक प्रति T.R.A को भी निर्णय की प्रति भेजी जावे। पत्रावली मे निर्णय खुले अदालत सुनाया गया, पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से जमा हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)	

Scanned with CamScanner